

**राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2012 से 3/2016**

(क) गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:-

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरों की जांच के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/03

1	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अंशतःनिर्णीत
3	पैरा 29	अंशतःनिर्णीत
4	पैरा 36 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 36 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 36 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 37	अनिर्णीत
8	पैरा 41	अनिर्णीत
9	पैरा 42 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा 42 (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 43 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 43 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 44 (ख)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/03 से 03/05

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8(क से घ)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2012

1	पैरा 3	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त (रसीद सं0 475567 दिनांक 18.6.12)
2	पैरा 4(क)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति पुनः प्रारूपित)

3	पैरा 4(क)(ii)	निर्णीत
4	पैरा 4(क)(iii)	निर्णीत
5	पैरा 4(ख)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 5	निर्णीत (आवश्यक कार्यवाही करने व प्रस्तुत उत्तर के उपरान्त)
7	पैरा 6	अनिर्णीत
8	पैरा 7	निर्णीत (रसीद सं0 6256 दिनांक 28.1.2014 द्वारा राशि सरकार से प्राप्त होने पर)
9	पैरा 8	निर्णीत(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 9	अंशतः निर्णीत (क्रम सं0 3 व 4 में अपेक्षित 8590 की वसूली करने व सम्बन्धित विभागों में जमा करने पर)
11	पैरा 10	अनिर्णीत
12	पैरा 11	निर्णीत (अपेक्षित वसूली रसीद सं0 5792 दिनांक 30.9.13 द्वारा करने पर)
13	पैरा 12	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर/अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत)
14	पैरा 13	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर/अपेक्षित कार्यवाही के दृष्टिगत)
15	पैरा 14(क)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)
16	पैरा 14(ख)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)
17	पैरा 14(ग)	निर्णीत
18	पैरा 14(घ)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)
19	पैरा 14(ङ)	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)

(ख) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट, जिला सोलन के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम सं०	संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	प्राप्त निधि की राशियों का उपयोग न करना	6	636.19
2	निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	20.73
3	प्रतिभूति राशि को सत्यापन के बिना छात्रों को वापिस करना	8	12.01
4	कोष चालानों का राजकीय कोषगार से मिलान न करना	9	15.99
5	प्राप्त निविदाओं की दर से अधिक दर पर भुगतान करना	12	0.02

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट जिला सोलन के अवधि 04/2012 से 3/2016 के निधि लेखाओं का अंकेक्षण श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.2.2017 से 22.2.2017 के दौरान किया गया । माह 7/2012, 1/2014, 1/2015, 1/2016 की आय व माह 3/2013, 6/2013, 6/2014, 6/2015 के व्यय की विस्तृत जाँच की गई ।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर आधारित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचनाओं या सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए जिम्मेवार नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट जिला सोलन के अवधि 04/2012 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹12000 बनता है। अनुभाग अधिकारी के पत्र सं० 1 दिनांक 22.2.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट जिला सोलन द्वारा प्रस्तुत अवधि 04/2012 से 03/2016 के लेखों की वर्षवार वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट-क** के अनुसार निम्न प्रकार से थी:-

वर्ष वार की वित्तीय स्थिति

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2012-13	36848078.91	6489120	241972.00	43579170.91	5124371	38454799.91
2013-14	38454799.91	7474977	187550.00	46117326.91	3596795	42520531.91
2014-15	42520531.91	6972575	132777.00	49625883.91	5220081	44405802.91
2015-16	44405802.91	5186048	16551192.17	66143043.08	2523831	63619212.08

दिनांक 31.3.2016 तक वित्तीय स्थिति अनुसार ₹63619212.08 विभिन्न निधि खातों में जमा थे संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर जमा राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है :-

क्रम सं०	जमा राशि का विवरण	राशि
1	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के बचत खाता संख्या: 109 में जमा	3836101.60
2	यूको बैंक के बचत खाता सं० 9226 में जमा	527016.00
3	यूको बैंक के बचत खाता सं० 9225 में जमा	1586693.00
4	यूको बैंक के बचत खाता सं० 9224 में जमा	1013424.33.00
5	सावधि जमा में जमा राशि जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट“ख” में दिया गया है।	56701395.00
	योग	63664629.93
	अन्तर का विस्तृत विवरण परिशिष्ट“ग” में दिया गया है।	45417.85

(ख) संस्था में प्राप्त की गई निधियों का निधिवार लेखा न रखना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न निधियाँ छात्रों से ली जा रही है परन्तु भवन निधि, पलेसमेंट एण्ड ट्रेनिंग और प्रतिभूति निधि को छोड़ कर सभी निधियों का लेखाकन इकठा करके किया जा रहा है जिससे यह पता नहीं चलता कि किस निधि में कितनी राशि जमा है उसमें से कितना व्यय किया गया है तथा कितनी राशि शेष है। इस

सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी परामर्श दिया था परन्तु इस बारे में संस्था द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि सभी निधियों का पृथक-पृथक लेखांकन किया जाए ताकि प्रत्येक निधि की वित्तीय स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

5 सावधि निवेश :-

दिनांक 31.3.2016 को ₹56701395 सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट “ख” में दिया गया है। उपरोक्त सावधि जमा राशि को परिपक्वता उपरान्त पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 ₹636.19 लाख की छात्र निधि का उपयोग न करना:-

संस्था द्वारा “परिशिष्ट-क” पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.16 को छात्रों से प्राप्त कुल ₹63619212.08 का उपयोग छात्रों पर नहीं किया था जोकि उचित नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि जिस उद्देश्य हेतु छात्रों से निधि प्राप्त की जा रही है उसे उसी मद हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 ₹20.73 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:

संस्था द्वारा पुस्तकालय भवन राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट की विशेष मुरम्मत हेतु अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) मण्डल सोलन को ₹2072700 बैंक ड्राफ्ट सं0 878966 दिनांक 15.7.2014 द्वारा जारी की थी परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त विभाग से प्राप्त नहीं किया था जिसे अब प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹12.02 लाख की प्रतिभूति राशि को सत्यापन के बिना छात्रों को वापिस करना:-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट के चयनित माह के अंकेक्षण में पाया कि संस्थान द्वारा संस्था प्रतिभूति राशि, पुस्तकालय प्रतिभूति राशि छात्रावास प्रतिभूति राशि और मैस अग्रिम की राशियों को “न देय प्रमाण पत्र” संस्था के विभिन्न विभागों से प्राप्त करके छात्रों को वापिस किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	चयनित माह	छात्रों की संख्या	रोकड वही पृष्ठ सं0	राशि
1	6 / 2013	179	71 से 77	395000
2	6 / 2014	164	86 से 92	401600
3	6 / 15	173	102 से 108	405200
योग				1201800

संस्था द्वारा कोई भी प्रतिभूति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो प्रतिभूति राशि छात्रों को लौटाई गई है क्या वास्तव में वह राशि छात्रों से प्राप्त हुई थी या नहीं। अतः प्रतिभूति रजिस्टर के बिना और उचित सत्यापन के छात्रों को प्रतिभूति राशि लौटाने का औचित्य लेखा परीक्षा को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रतिभूति रजिस्टर को तैयार करके प्रतिभूति राशि को उचित सत्यापन के उपरान्त वापिस लौटाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹15.99 लाख के कोष चालानों का राजकीय कोषगार से मिलान न करना:—

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट के अवधि 04/2012 से 03/2016 के अंकक्षण के दौरान प्रवेश शुल्क, विलम्ब प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और छात्रावास रेंट के रूप में ₹1599100 विभिन्न कोष चालानों द्वारा राजकीय कोषगार में जमा की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	कोष चालान सं०	दिनांक	राशि	रोकड वही पृष्ठ सं०
1	3	16.5.12	147000	253
2	4	16.5.12	138300	253
3	4	5.10.12	198250	21
4	5	5.1.12	96000	21
5	20	13.2.14	72000	147
6	21	13.2.14	261150	147
7	22	26.8.14	162400	196
8	3	3.9.15	166100	274
9	5	16.3.16	117600	25
10	15	22.3.13	144300	62
11	16	22.3.13	96000	62
योग			1599100	

संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में राजकीय कोषगार से जमा करवाई राशियों का मिलान नहीं किया जा रहा है। अतः जमा करवाई गई राशियाँ का मिलान कोषगार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रक्रिया को भविष्य में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 ₹0.06 लाख को राजकीय कोष में गलत जमा करना :-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट द्वारा समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों का क्रय छात्र कल्याण निधि से अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2016 तक किया गया था। दिनांक 21.8.2015 को पुराने समाचार पत्रों की निलामी से ₹6223 प्राप्त हुई थी जिसे संस्था द्वारा राजकीय कोष में चालान सं0 2 दिनांक 22.8.2015 को जमा किया था जोकि उचित नहीं है। क्योंकि समाचार पत्र छात्र निधि से क्रय किए गए थे इस प्रकार समाचार पत्रों की निलामी से प्राप्त उक्त धनराशि को छात्र निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त ₹6223 को राजकीय कोष में जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में निलामी की राशि को छात्र निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 अवधि 04/2012 से 03/2016 के दौरान प्रदान की गई अग्रिम राशियों में से ₹0.04 लाख समायोजन हेतु शेष :-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट के अंकेक्षण में पाया कि संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु समय-समय पर “परिशिष्ट-घ” के अनुसार अवधि 04/12 से 03/16 के दौरान अग्रिम प्रदान किए गए थे तथा दिए गए अग्रिमों में से ₹4208 दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन हेतु शेष थी। अतः उक्त राशि का समायोजन करके कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

12 ₹0.02 लाख का आपूर्तिकर्ता को निविदाओं की दर से अधिक दर पर भुगतान करना:-

राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट में सी0 सी0 टी0 वी0 कैमरा व उपस्थिति मशीन को लगाने हेतु माह 3/2013 में आन्नद इलैक्ट्रॉनिक्स, राम कम्पलेक्स रोपड़ रोड़ नालागढ़ को निविदाओं में दी गई दर से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण ₹2251 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की सम्बन्धित से वसूली करके उसे छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विविध:-

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अनियमितताएं भी पाई गई:-

(क) राजकीय बहुतकनीकी संस्थान (महिला) कण्डाघाट द्वारा छात्र निधि से सम्बन्धित बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व व्यय का अनुमान तैयार करना अपेक्षित था तथा उसके आधार पर व्यय किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी परामर्श दिया गया था परन्तु संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व व्यय का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) संस्था द्वारा क्रय की जा रही वस्तुओं का स्थाई स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज तो किया जा रहा है परन्तु अस्थायी स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसे अब तैयार करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) संस्था द्वारा गेस्ट लेक्चर का मानदेय जो छात्र कल्याण निधि से किया जहा रहा था का कोई भी भुगतान रजिस्टर नहीं बनाया गया था। इस बारे में गत अंकेक्षण में भी परामर्श दिया गया था परन्तु संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अभिलेख को अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) गृह परीक्षा सामग्री व अन्य सामग्री की खरीद एक मुश्त न करके छोटे-छोटे बिलों के रूप में की गई थी जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल रहा था। इस बारे में गत अंकेक्षण में भी परामर्श दिया गया था परन्तु संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आवश्यक जाँच करके भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए/प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके एक मुस्त ही किया जाए ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके।

14 लघु आपति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई थी।

15 निष्कर्ष:— लेखों में सुधार की आवश्यकता है

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)11(4)113/88 खण्ड-3-4360-4362 दिनांक 18-07-2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा, हि०प्र० सरकार शिमला-171002
- 2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर हि०प्र०
- पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

फोन नं० 0177-2620881